8/9/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी 6 + 8 के जवाब लिखित का अवलोकन किया वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु 13/9/19 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

13/9/19 पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– प्रार्थना पत्र / 72 / 2019

1 रामचंद्र पुत्र भीवाराम उम्र 75 वर्ष जाति जाट निवासी सिहोट छोटी तहसील धोद जिला–सीकर राज

बनाम

–प्रार्थी

1 रिछपाल पुत्र श्योजी जाति जाट निवासी सिहोट छोटी तहसील धोद जिला–सीकर राज
2. तहसीलदार, तहसील धोद जिला–सीकर राज.

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम वास्ते पत्थर गड्डी करवाये जाने।

–:आदेश:–

दिनांक–19.09.2019

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 837 / 183 रकबा 3.3300 हैक्टैयर, खसरा सं. 840 / 184 रकबा 4.23 हैक्टैयर, खसरा सं. 830 / 135 रकबा 0.0600 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार एवं काबिज प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 रिछपाल पुत्र श्योजी है तथा प्रार्थी की उपर्युक्त कृषि भूमि खसरा सं. 837 / 183 व खसरा सं. 840 / 184 का पड़ौसी अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि खसरा सं. 830 / 135 है जिस पर बार बार सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है तथा इस विवाद को समाप्त करने के लिए प्रार्थी के आवेदन पर प्रति अप्रार्थी सं. 2 श्रीमान् तहसीलदार धोद के आदेशानुसार दिनांक 21.06.2019 को सीमाज्ञान किया जा चुका है परन्तु अप्रार्थी सं. 1 सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण प्रार्थी को हैरान व परेशान कर रहा है तथा बार बार सीमा विवाद हो रहा है तथा अप्रार्थी सं. 1 लड़ाई–झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। बार बार विवाद होने की स्थिति को समाप्त करने के लिए उक्त वर्णित अराजियात की पत्थरगड्डी करवाया जाने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दिनांक 01.07.2019 को प्रार्थी के कब्जे हक अधिकार की भूमि को दबाते हुए अपनी नींव सींव कायम कर लेने की धमकियां देने पर प्रार्थी को हस्तगत प्रार्थना–पत्र पेश करना आवयश्यक हुआ। प्रश्नगत आराजियात भूमि ग्राम सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित होने के कारण सुनवाई का माननीय न्यायालय को पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है। यह कि अप्रार्थी सं. 2 भूमिधारक राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 2 को आदेश दिया जावे कि वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खसरा सं. 837 / 183 रकबा 3.3300 हैक्टैयर, खसरा सं. 840 / 184 रकबा 4.23 हैक्टैयर, खसरा सं. 830 / 135 रकबा 0.0600 हैक्टेयर में प्रार्थी की भूमियों की पत्थरगड्डी स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की देखरेख में करवायें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद • न्यायालय सीकर (राज.) •

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

2. प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया। उक्त जवाब में उल्लेखित किया है प्रार्थी के वाद में जो नोटिस उसे जारी किया गया है उसमें कही भी प्रार्थना–पत्र सं. व डिस्पेच सं. अंकित नहीं है। संलग्न प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की प्रति पर प्रार्थी के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर नहीं है। अगर प्रार्थी पूर्ण रूप से सत्य होता तो प्रार्थी को अपनी जमीन की पत्थरगड़्डी करवाने में अप्रार्थी सं. 1 को नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं पडती। प्रार्थी ने पहले भी अपनी जमीन नपती करवा ली है। जिसमें नाप के मुताबिक प्रार्थी की जमीन पूरी है एवं रिकॉर्ड के अनुसार भी पूरी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के नाम जो अपनी जमीन है उसकी पत्थरगड़्डी करवाने में अप्रार्थी सं. 1 को आपत्ति एवं एतराज नहीं है।

3. बहस उभयपक्ष से सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी की ओर से यह कथन किया गया कि तहसीलदार धोद के आदेशानुसार सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 21.06.2019 के अनुसार ही पत्थरगड़्डी के आदेश दिया जाना न्यायोचित है। बहस के दौरान अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब में अंकित तथ्यों को ही दोहराया।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। उपरोक्त अवलोकन से जाहिर है कि दस्तावेजात के रूप में पेश फर्द मौका रिपोर्ट दिनांकित 21.06.2019 में सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी की मांग पर पत्थरगड़्डी करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5. अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा सं. 837/183 व खसरा सं. 840/184 वाके ग्राम सिहोट छोटी तहसील धोद जिला–सीकर राज. का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 21.06.2019 के अनुसार पत्थर गड़्डी करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार, धोद को पालनार्थ लिखा जावें कि वह प्रकरण में सभी पक्षकारों को जरिये नोटिस/उचित माध्यम से सूचित कर उनकी उपस्थिति में विधिपूर्वक पत्थरगड़्डी की कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 19.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner